कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर।
ठेकों की नीलामी की सार्वजनिक सूचना

पत्रांक कानपुर नगर दिनांक 2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर में स्थित निम्नलिखित ठेका की नीलामी की कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2024–2025 की दिनांक 31.03.2025 की शेष अवधि हेतु दिनांक 07.01.2025 को सायंकाल 4:30 बजे प्रथम तल के बरामदे में सम्पादित की जायेगी जो व्यक्ति/संस्था ठेका की नीलामी मे भाग लेना चाहते हैं, वह एक प्रार्थना पत्र के साथ अपना हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई.डी व पैनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करते जमानत कीधनराशि रूपया मु0 20,000/–(बीस हजार रूपये) कैशियर के पास दिनांक 06.01.2025 सायं 4:30 बजे तक जमा करें, उक्त धनराशि नीलामी समाप्त होने के बाद उन्हें वापस की जायेगी।

सन्दर्भित नीलामी समाप्त होने पर अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/संस्था को बोली की आधी धनराशि तत्काल केन्द्रीय नजारत में जमा करनी होगी। तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी अन्यथा उक्त बोली को निरस्त कर दिया जायेगा। सन्दर्भित बोली बोलने वाले व्यक्ति/संस्था को ठेका प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र दो दिन के अन्दर निष्पादित करना होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि–

1–बोली बोलने वाला व्यक्ति बकायेदार व काली सूची के अर्न्तगत न आता हो।

2–बोली बोलने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही विचाराधीन हो। इस आशय का शपथपत्र बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली में भाग लेने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3–बोली स्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर के पास सुरक्षित रहेगा।

<u>जनपद न्यायालय, कानपुर नगर परिसर में स्थापित ठेके का विवरणः–</u>

1– ठेका चाय, नमकीन (मुस्लिम होटल) न्यायालय परिसर पुरानी बिल्डिंग

(विकास गोयल)
अपर जिला जज कक्ष सं0–4,
अध्यक्ष, नीलामी समिति,कानपुर नगर।

पत्रांक : 3368(i)I दि0: 21.12.2024

इस नीलामी की सार्वजनिक सूचना की एक–एक प्रति समस्त सार्वजनिक स्थानों के अतिरिक्त जनपद न्यायालय, कानपुर नगर, कार्या0 जिलाधिकारी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये व एक प्रति निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग लखनऊ को प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये।

इस सूचना को जनपद न्यायालय, कानपुर नगर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफीसर, जनपद न्यायालय, कानपुर नगर को अवगत कराया जाये।

21.12.2024

(विकास गोयल)
अपर जिला जज कक्ष सं0–4,